आई-12012/3/2016-आईएसएसपी-भाग(1)

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

(एसएसपी यूनिट)

कमरा संख्या-714, लेवल-7,
ईस्ट ब्लॉक 6, आर.के. पुरम, नई दिल्ली,
दिनांकः 8 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

विषयः- सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) योजना के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) की संरचना में संशोधन ।

दिनांक 09.06.2020 के पूर्व सम संख्यक आदेश के अधिक्रमण में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता (एसएसएस) योजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) की संरचना में पैरा 2 के निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। समिति का विचारार्थ विषय वही रहेगा जैसा कि पैरा 4 में दिया गया है ।

2. समिति की संरचना:

समिति की संरचना निम्नलिखित होगीः

I. सीएसआई-सह-सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन)-अध्यक्ष
II. एसएस/एएस एवं वित्तीय सलाहकार-सदस्य
III. महानिदेशक (सांख्यिकी)-सदस्य
IV. महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन)-सदस्य
V. महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण)- सदस्य
VI. अपर महानिदेशक (आईआईआईसीयू-प्रभारी एसएसपीयू)-सदस्य
VII. अपर महानिदेशक (एनएडी)-सदस्य
VIII. अपर महानिदेशक (एसएसडी)-सदस्य
IX. अपर महानिदेशक (एससीडी)-सदस्य
X. नीति आयोग के प्रतिनिधि-सदस्य
XI. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि-सदस्य
XII. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, गुजरात के प्रमुख-सदस्य
XIII. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक के प्रमुख-सदस्य
XIV. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान के प्रमुख-सदस्य
XV. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, सिक्किम के प्रमुख-सदस्य
XVI. उप-महानिदेशक (एसएसपीयू)-सदस्य सचिव

3. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के प्रमुख, जिनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं, भी बैठक में उपस्थित होंगे ।

4. विचारार्थ विषय

I. सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण सहायता योजना से संबंधित सभी नीति निर्देश तैयार करना ।

II. एसएसएस योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों से निहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों को निरूपित करने वाले समझौता ज्ञापनों को अनुमोदन देना ।

III. एसएसएस योजना के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के घटकों में कुल आवंटन के 25 प्रतिशत से ऊपर के वित्तीय पुनर्विनियोजन निहितार्थ मध्यावधि संशोधनों, यदि कोई है, को अनुमोदन देना ।

IV. उच्च स्तरीय संचालन समिति समय-समय पर समग्र योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा कर सकती है ।

5. समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य सदस्य को सह-सहयोजित कर सकती है ।

Sd/-
(राजेश भाटिया)
उपमहानिदेशक (एसएसपीयू)

प्रतिः

1. सभी सदस्य ।
2. सामान्य अनुभाग/रोकड़ अनुभाग/बजट एवं वित्त अनुभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

Sd/-
(राजेश भाटिया)
उपमहानिदेशक (एसएसपीयू)